RTA/11-01/2023

I/101487/2024

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

आदेश

दिनांक 06.10.2023, दिनांक 18.10.2023 एवं दिनांक 12.12.2023 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक में परमिट की शर्तों का उल्लंघन, अवैध परिचालन एवं कागजात अद्यतन नहीं होने के कारण कतिपय वाहनों के पक्ष में निर्गत परमिट को रद्द किये जाने हेतु कार्रवाई किये जाने का निर्णय लिया गया है। सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 8832 दिनांक 24.11.2023, पत्रांक 9173 दिनांक 05.12.2023, पत्रांक 9174 दिनांक 05.12.2023 एवं पत्रांक 9498 दिनांक 21.12.2023 के आलोक में निम्नांकित छः वाहनों के वाहन स्वामियों से तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी :–

क्र स	वाहन संख्या	वाहन स्वामी का नाम	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	स्पष्टीकरण का पत्रांक /दिनांक	डाक रसीद संख्या	तामिला की तिथि	कागजात की वैधता	परमिट रद्द का कारण
1	BR06PC-3940	श्री अरविन्द सिंह	BR2021-SC-0441A	03-03-26	1520/ 04.12.23	RF394159176IN	08.12.23	टैक्स–28.12.23 फिटनेश–15.10.23 बीमा–25.10.23 प्रदुषण–20.06.23	दुरूस्ती, बीमा एवं प्रदुषण वैध नहीं रहने एवं अध्यारोपित दण्ड की राशि 67680=00 रूपये जमा नहीं करने के कारण।
2	BR06PE-5689	श्रीमती जूली भारती	BR2021-SC-0265A	16-02-26	1504/ 04.12.23	RF394159318IN	06.12.23	टैक्स–10.02.24 फिटनेश–12.11.23 बीमा–03.02.24 प्रदुषण–03.10.24	दुरूस्ती वैध नहीं रहने एवं अध्यारोपित दण्ड की राशि 30000=00 रूपये जमा नहीं करने के कारण।
3	BR06PA-8740	श्री शत्रुधन ठाकुर	327/19	07-09-24	1524/ 07.12.23	RF394154117IN	11.12.23	टैक्स–27.02.24 फिटनेश–17.11.22 बीमा–30.03.20 प्रदुषण–04.05.24	बीमा एवं दुरूस्ती प्रमाण–पत्र वैध नहीं रहने, अध्यारोपित दण्ड की राशि 14000=00 रूपये जमा नहीं करने एवं वी.एल.टी.डी. सक्रिय नहीं रहने के कारण।
4	BR06P-6240	श्री रणवीर कुमार	BR/106/SC/566/2008	13-12-23	1525/ 07.12.23	RF394154117IN	11.12.23	टैक्स–16.02.24 फिटनेश–13.07.23 बीमा–24.02.22 प्रदुषण–12.01.23	बीमा, प्रदुषण एवं दुरूस्ती प्रमाण–पत्र वैध नहीं रहने, अध्यारोपित दण्ड की राशि 27000=00 रूपये जमा नहीं करने एवं वी.एल.टी.डी. सक्रिय नहीं रहने के कारण।
5	BR31PA-3440	श्री अन्जनेय गौतम	50/18	27-10-23	1624 क/ 21.12.23	RF394206049IN	28.12.23	टैक्स–02.02.24 फिटनेश–05.06.24 बीमा–05.05.24 प्रदुषण–10.11.24	अपने निर्धारित मार्ग से भिन्न मार्ग पर परिचालन।
6	BR06PA-8840	श्री रणवीर कुमार	BR2021-SC-0815A	09-04-26	1624/ 21.12.23	RF394205794IN	28.12.23	टैक्स–04.03.24 फिटनेश–15.07.23 बीमा–12.07.23 प्रदुषण–01.08.24	वाहन का दुरूस्ती एवं बीमा वैध नहीं होना तथा अध्यारोपित दण्ड की राशि 7000=00 रूपये जमा नहीं करने के कारण।

नोटिस प्राप्त होने के बावजूद स्पष्टीकरण का जवाब अबतक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त वाहन स्वामियों को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। उपर्युक्त वाहनों का बिना वैध कागजात के परिचालन किया जा रहा था, जो मोटरयान अधिनियम–1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है। वैध बीमा न होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को कोई दावा/मुआवजा का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। बसों का फिटनेश फेल होने के बावजूद परिचालन करना यात्रियों के जान के साथ खिलवाड़ करना है। नोटिस के बावजूद वाहन का कागजात अद्यतन नहीं कराने एवं जुर्माना की राशि जमा नहीं करने से प्रतीत होता है कि वाहन स्वामियों को शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरूचि नहीं है तथा उनके द्वारा जानबुझ कर सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है।

राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा व्यावसायिक यात्री वाहनों में वी.एल.टी.डी. स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र दैनिक

जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के सभी बैठको में सभी वाहन स्वामियों को अपने व्यावसायिक वाहनों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने का निदेश दिया गया है। इसके बावजूद अपने वाहन में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराना प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

अतएव राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में मोटरयान अधिनियम–1988 के धारा 86(1) में निहित प्रावधान के तहत उपर्युक्त छः वाहनों का परमिट रद्द करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के आदेश से।

Barun Kumar Mishra
Digitally signed by Barun Kumar Mishra
Date: 2024.01.03 15:27:53 +05'30'

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांकः– 35 /परि0 मुजफ्फरपुर, दिनांकः– 03/01/2024

प्रतिलिपिः– सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि बिना वैध परमिट के उक्त वाहनों का परिचालन पाये जाने पर नियमानुसार जुर्माना/कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित वाहन स्वामियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश है कि रद्द किये गये परमिट की मूल प्रति कार्यालय में दो दिनों के अंदर समर्पित करें।

Barun Kumar Mishra
Digitally signed by Barun Kumar Mishra
Date: 2024.01.03 15:28:29 +05'30'

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।